बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

प्र०–10 / ल०ज०स० / लो०सू०को० / आई०डी०क्र०–106 / 2025–26 / पटना, दिनांक–

प्रपत्र 'घ'

(नियम4(1) देखें)

सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में

प्रेषक,

दिलीप कुमार चौधरी,
अवर सचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री राजेश कुमार,
पता–अधीक्षण अभियंता,
(मु0) उड़नदस्ता का कार्यालय जल भवन,
द्वितीय तल्ला, राईडिंग रोड, शेखपुरा, पटना,
पिनकोड–800014 (बिहार), मो0–9801962072
E-mail –nehaditya11@gmail.com

ई–मेल

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत् मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– **आपका सूचना आवेदन दिनांक–24.02.2026**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि केन्दीय सूचना आयोग ने अपील सं0–446 / आई0सी0(ए) / 2006, एफ0सं0सी0आई0सी0 / एम0ए0 / ए0 / 2006 / 00634 में निर्णय दिया है कि "अधिनियम की धारा–8(1)(त्र) के प्रावधानानुसार वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियाँ 'गोपनीय सूचना' होने के नाते अपीलार्थी के पहुँच योग्य नहीं है।"

साथ ही यह भी उल्लेख करना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–10(1) में निर्दिष्ट है कि "जहां सूचना तक पहुँच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में है, जो प्रकट किये जाने से छुट प्राप्त है वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए, भी, पहुँच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध करायी जा सकेगी। जिसमें कोई ऐसी सूचना अन्तर्विष्ट नहीं है, जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किये जाने से छुट प्राप्त है और जो किसी ऐसे भाग से जिसमें छुट प्राप्त सूचना अन्तर्विष्ट है, युक्तियुक्त रूप से पृथक की जा सकती है।"

विदित हो कि संचिका सं0प्र0–01 / ल0ज0स0 / स्था0(राज0)–19 / 2023 के अनेकों पृष्ठों में अन्य अभियंताओं का गोपनीय वार्षिक चारित्री / विशेष चारित्री का उल्लेख एवं व्यक्तिगत अभ्यावेदन है। केन्द्रीय सूचना आयोग के उपर्युक्त निर्णयों के आलोक में आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना में गोपनीय वार्षिक चारित्री / विशेष चारित्री एवं व्यक्तिगत अभ्यावेदन देय नहीं है।

अतः आपके द्वारा मांगी गयी सूचना अभिलेख कुल–149(एक सौ उनचास) पृष्ठों में इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अनु०ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह० / –

दिलीप कुमार चौधरी,
सरकार के अवर सचिव,
–सह–
लोक सूचना पदाधिकारी,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 1888 / पटना, दिनांक– 18/03/26

प्रतिलिपिः– विभागीय आई०टी० कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। 18-3-26

अनु०ः–यथोक्त।

लोक सूचना पदाधिकारी,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

Suman

e:\letter n notesheet\letter\letters 2.docx